

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2006

आय-कर

का.आ. 2016(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और उप-खंड (vi) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2गक में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) यथास्थिति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक का 1 दिसम्बर, 2006 से पूर्व प्रदान किया गया अनुमोदन किसी भी एक समय पर तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी होगा”।

[अधिसूचना सं. 357/2006/फा. सं. 142/28/2006-टीपीएल]

वंदना रामचंद्रन, अवर सचिव (टीपीएल-1)

टिप्पण-मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1938(अ), तारीख 9-11-2006 द्वारा आय-कर (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 2006 द्वारा किया गया था।